



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 (माघ 25, शक संवत् 1945)
विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. बधाई एवं शुभकामनाएँ
बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सदन को बधाई एवं शुभकामनाएं.

अध्यक्ष महोदय एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में संपूर्ण सदन को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 139 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 160 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नल-जल योजनाओं संबंधी विधायकों के प्रश्नों की जाँच समय-सीमा में पूरी कराये जाने संबंधी मांग पर {तारांकित प्रश्न संख्या (क्रमांक 1783)} शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना।

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा दि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश के 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखा गया।

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2020-2021 पटल पर रखा गया।

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख.

बैतूल जिले में एक आदिवासी युवक पर अत्याचार की घटना संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना का उल्लेख

श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्यों द्वारा बैतूल जिले में एक आदिवासी युवक को नग्न करके, उल्टा टांगकर उसकी बेरहमी से पिटाई किए जाने संबंधी अत्याचार की घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिए जाने का उल्लेख किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- श्री रामनिवास रावत, सदस्य की यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज पूर्वाहन 9.50 बजे प्राप्त हुई है, जो उत्तर के लिए विभाग को भेजी गई है।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था.

(श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के आसन के पास कुछ माननीय सदस्यों के आसंदी की तरफ पीठ करके चर्चारित होने पर)

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के पूर्व सदन में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर परस्पर बात करने से कार्यवाही में व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- कृपया सदन में माननीय सदस्य आपस में खड़े होकर बात न करें, यह उचित नहीं है, आपको अपने आसनों पर बैठना चाहिए। सदन चलते समय परस्पर बातचीत न करें।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि कभी भी आसंदी की तरफ पीठ करके खड़े नहीं होना चाहिए, माननीय सदस्य जब भी अपने आसन पर बैठें या उठें तो नमन करें, यह संसदीय परंपरा है, इसका जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए।

डॉ. कुँवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा यह अनुरोध किया गया कि बिना आसंदी की अनुमति के किसी माननीय सदस्य का मार्ईक भी चालू नहीं रहना चाहिए।

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले में आर. बी. सी. नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर नगर का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. हिरालाल अलावा (डॉ. रामकिशोर दोगने, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को) सदस्य, प्रदेश की मृदा परीक्षण प्रयोग शालाएं बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री एदल सिंह कंपाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

श्री उमंग सिंधार, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भैंवर सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया।

(4) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड नगर पालिका परिषद में आर्थिक अनियमितता होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि- अब, मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (14) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, संबंधित सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुईं तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े माने जाएँगे तदनुसार:-

(5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य नवीन मैहर जिला में विभागों के प्रशासकीय कार्यालय भवन न बनाए जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिष्ठाता की भर्ती में आरक्षण का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य.

(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा से अनेक छात्र-छात्राएं परीक्षा देने से वंचित होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(8) सर्वश्री राजेन्द्र भारती, रामनिवास रावत, सदस्यों की सचूनाएँ दतिया एवं आसपास के जिलों में निजी खातेदारों के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि को शासकीय घोषित किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री अरूण भीमावद, सदस्य शाजापुर बस स्टैण्ड पर बनाई जा रही दुकानों का कार्य भुगतान के अभाव में बंद होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य इंदौर बुधनी रेलमार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य गुन्नौर क्षेत्र के नगर परिषद कक्षारी में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(12) इंजी. श्री प्रदीप लारिया, सदस्य सागर जिले के नरयावली क्षेत्र में नल जल योजना का कार्य पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना का लाभ कृपकों को न मिलने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री रामनिवास रावत, सदस्य श्योपुर जिले के वीरपुर थाना स्वत्व की जमीन पर अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य प्रस्तुत हुए माने गए.

8. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार:-

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सेरसा माईनर नहर को पूर्ण कराये जाने,

(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत सिखेड़ी, भदवासा मार्ग के मध्य उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री केशव देसाई, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम रसनौल में डॉ. अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने शेड व बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने,

(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम हंडिया में नर्मदा नदी पर पुल का मरम्मत कार्य कराये जाने,

(5) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र.85 कटारा हिल्स हाउसिंग बोर्ड कालोनी के आवास क्र. 427 से 430 MIG-DX-B के सामने स्थित उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल, वॉर्किंग ट्रेक एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने,

(6) चौधरी सुजीत मेर सिंह, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम तंसरा रैयत से सगुनबर्रा होते हुए मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने,

(7) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के बेल्हा करइया मुख्य मार्ग को कैमोर पहाड़ की तराई से होते हुए अमरपाटन रामनगर मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,

(8) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत आम्बापाड़ा में रकमा मईड़ा के घर से लुणी-बरपटी मार्ग तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम सोई से मजरा सोई का पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के विजयपुर अंतर्गत ग्राम गसवानी के पास 133/11 के ब्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्वीकृति प्रदाय करने,

(11) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र. 65 के सिकन्दर कम्पू में विद्युत खंबों के साथ स्ट्रीट लाईट लगवाये जाने,

(12) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मगरोनी में डबरा-नरवर रोड का चौड़ीकरण/डिवाईडर एवं नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने,

(13) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम मालपीथा में लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने प्राचीन बावरी में अमृत योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था कराये जाने,

(14) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले की नगर पालिका क्षेत्र में हनुमान चौक, बैहर चौकी सरेखा बायपास एवं नर्मदा नगर में बड़े नालों का निर्माण कराये जाने,

(15) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के किरनापुर अंतर्गत ग्राम सिहोरा से हट्टा के मध्य घिसर्गी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(16) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल कुशलपुरा, सगवाल, पदमपुरा, खेड़ीकला एवं चालनी में नवीन स्कूल भवन की स्वीकृति प्रदान करने,

(17) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायत बालीपुर बुजुर्ग में कालीबाबड़ी से बालीपुर बुजुर्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(18) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम खड़रा में सर्व सुविधायुक्त खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(19) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य, शिवपुरी जिले के दोहरी अंतर्गत वार्ड क्र-15 वमनपुरा-गोदोली, बैराढ मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(20) श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य, झाबुआ जिले के थांदला अंतर्गत ग्राम रामपुरा पटरा की अनाथ नदी पर बने पुल का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने,

(21) श्री विपिन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम अजनोटी से मावता काकड़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(22) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मकला में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(23) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रत्लाम जिले के पर्यटन स्थल ग्राम सुजापुर व नन्दावता में जनसुविधाओं की स्वीकृति प्रदान करने,

(24) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत टेहरका को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने,

(25) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर शहर के डबरा में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(26) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्र-28 इंद्रानगर में पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(27) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले के सेंधवा अंतर्गत ग्राम करचाली से रामकोला तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(28) श्री श्याम बरड़े, सदस्य, बड़वानी जिले के पानसेमल अंतर्गत ग्राम चार्ली पीठा में ब्रिज निर्माण कराये जाने,

(29) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सिलोरी से उचाड तक रोड का निर्माण कराये जाने,

(30) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के सुजारा बांध से अनेक ग्रामों में पानी सुलभता से प्रदान करने के साथ ही जिले का तालाब भरवाये जाने,

(31) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा अंतर्गत खारक तालाब से ग्राम चौखंड, कान्यापानी एवं अन्य ग्रामों में उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृत करने,

(32) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम नरगी में नदी के किनारे घाट का निर्माण कराये जाने,

(33) श्री सोहनलाल बाल्मीकि, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम रिधौरा से रैयतवाड़ी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(34) श्री विसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत फुनगा में संचालित उप तहसील के नवीन कार्यालय भवन की स्वीकृति प्रदान करने,

(35) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम खाजपुर से मगरमाटी तक सड़क एवं नदी पर रपटा/पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(36) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के खरगापुर अंतर्गत तहसील पलेरा में अनुविभागीय कार्यालय (राजस्व) खोले जाने,

(37) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के केवलारी अंतर्गत ग्राम मुण्डरई खुर्द से कुडों मार्ग तक एवं अन्य ग्रामों में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(38) इंजी. श्री गोपाल सिंह, सदस्य, सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम मेंहतवाड़ा में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(39) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले के घुघरी अंतर्गत ग्राम ददरगांव एवं अन्य ग्रामों में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,

(40) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम बडाखेडा में नानी बाडोई झरी नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(41) इंजीनियर श्री प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के नरयावली अंतर्गत ग्राम धुआ से मेहर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(42) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के सिमरिया अंतर्गत मन्नियार-पड़री रोड को टू-लेन सड़क में निर्माण कराये जाने,

(43) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के नगर खुजनेर में खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(44) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले के वारासिवनी अंतर्गत नवीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ कराये जाने,

(45) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले के राजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सालीकला से पटेलपुरा होते हुए मेम्बर पुरा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(46) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर शहर के श्रीनाथजी की तलैया के चारों ओर बाउण्ड्रीवॉल, नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य कराये जाने,

(47) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत झाँईताल में खेल मैदान का समतलीकरण एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने,

(48) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य, मुरैना जिले के भारत स्काउड गाईड चंबल संभाग ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कराये जाने,

(49) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर शहर के सूबेदार वार्ड, बाल्मीकि बस्ती कैंची बीड़ी ब्रांच से मेन रोड तक नाली एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,

(50) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, सतना जिले की ग्राम पंचायत भरगवां, अमिलिया के मध्य सतना-चित्रकूट से लगे ठाढ़ी पाथर में बांध बनाये जाने,

(51) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पथरेही अनुसूचित जाति/आदिवासी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर व विद्युत लाईन डलवाये जाने,

(52) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्य, नर्मदापुरम जिले के ग्राम शिवपुर में शासकीय कॉलेज प्रारंभ कराये जाने,

(53) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के धरमपुरी अंतर्गत ग्राम पंचायत आली में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने, संबंधी दैनिक कार्यसूची में अंकित आवेदनों (याचिकाओं) को सदन में प्रस्तुत हुआ माना गया.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद) को विधान सभा के फरवरी, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा। प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाना।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु पुकारे जाने पर, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा किए जाने संबंधी निर्णय न होने के बावजूद भी नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा लेने हेतु आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री सुरेश राजे, ओमकार सिंह मरकाम, लखन घनघोरिया, हेमंत सत्यदेव कटारे एवं सुश्री रामसिया भारती सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

इस चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- (1) श्री सुरेश राजे
- (2) श्री भौवरसिंह शेखावत
- (3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
- (4) श्री साहब सिंह गुर्जर
- (5) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
- (6) श्री कमल मर्सकोले
- (7) श्री ओमकार सिंह मरकाम
- (8) श्री पन्नालाल शाक्य
- (9) श्री मधु भाऊ भगत
- (10) श्री रामनिवास रावत

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। इस दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सुझाव सरकार को दिए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए। डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए कि सत्रोपरांत पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्य परस्पर संवाद कर कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो उस पर शासन द्वारा अवश्य विचार किया जाएगा।

11. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी गईः-

- (1) श्री विपिन जैन, सदस्य की प्रदेश के निजी विद्यालयों में गरीब एवं मध्यम वर्ग में आर.टी.ई. का दायरा बढ़ाकर कक्षा 9वीं में 12वीं तक किया जाना,
- (2) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में कृषि कार्य एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न होने के कारण आदिवासियों का पलायन किया जाना,

- (3) श्री जितेन्द्र उदयसिंह पण्डया, सदस्य की बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में नीलगाय (घोडारोज) द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पंहुचाया जाना,
- (4) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा), सदस्य की विधान सभा क्षेत्र लखनादौन अंतर्गत घंसौर एवं लखनादौन के ग्रामों में हुई अतिवृष्टि से खड़ी फसलों के नष्ट होने से राजस्व टीम गठित कर मुआवजा वितरण किया जाना,
- (5) श्री माधव सिंह (मधु गहलोत, सदस्य की) जिला आगर मालवा में आद्यौगिक विकास एवं रोजगार की दृष्टि से नवीन उद्योग स्थापित किया जाना,
- (6) श्री विश्वनाथ सिंह, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में हुई वर्षा से लालिया रोग से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा प्रदाय किया जाना,
- (7) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य की खैरलांजी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरलांजी में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना,
- (8) श्री नितेन्द्र ब्रजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिमरा खास की पहाड़ी पर पत्थर एवं जामनी नदी पर रेत का अवैध उत्खनन किया जाना,
- (9) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लल्लेपुरा सेमराबाग भवन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का भवन जर्जर एवं खस्ता हाल में होना,
- (10) श्री महेश परमार, सदस्य की आगामी बजट सत्र में विजली की दरों में वृद्धि न की जाना,
- (11) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर में मेला मैदान की लीज वाली बेशकीमती भूमि को लीजधारियों द्वारा भूमि का फर्जी अंतरण एवं नामांतरण कर फर्जी रजिस्ट्री कराया जाना,
- (12) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आर्थिकाद योजना का लाभ सैकड़ों बच्चों को न मिल पाना,
- (13) श्री संजय उर्डिके, सदस्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ी, उकवा, मंडई एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र सालेटेकरी में चिकित्सकों की पदस्थापना किया जाना,
- (14) श्री सुरेश राजे, सदस्य की डबरा नगर पालिका क्षेत्र ओव्हर ब्रिज के नीचे हाथ ठेला लगाकर गरीब व्यवसाइयों का ठेला जब्त कर सामान फैका जाना,
- (15) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी विधान सभा क्षेत्र में पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण परियोजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण कार्य धीमी गती से होना,
- (16) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद् क्षेत्रांतर्गत भूमि को कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अधिकारिता विहीन आदेश जारी कर विद्युत को आवंटित किया जाना,
- (17) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य की म.प्र. शासन नामांतरण, बटवारे, सीमाकंन के संबंध शासकीय भूमि की सुरक्षा हेतु अधिकारी गणों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन न किया जाना,
- (18) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान न किया जाना,
- (19) श्री अभय मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले में जलजीवन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यों में सड़कों को तोड़ने से उनका मूल स्वरूप नष्ट होना,
- (20) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य की भिण्ड जिले के संविदा शिक्षकों को पात्रता होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक के पद से वंचित किया जाना,
- (21) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की जिला बालाघाट के विभिन्न ग्रामों में आंधी तूफान ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा न दिया जाना,
- (22) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की जिला बड़वानी के अंतर्गत नरेगा के कार्य न होने से ग्रामवासियों के पलायन की स्थिति,
- (23) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य की वृद्धावस्था पेंशन बनाये जाने में सरलीकरण किया जाना,
- (24) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य की कटनी जिले के बिलहरी से स्लीमनाबाद मार्ग की जर्जर हालत,
- (25) डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की नागदा खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों के ग्रामवासियों को पट्टे न मिल पाना,

- (26) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य की बालाघाट जिले की तहसील लालबर्ग मुख्यालय में ध्वजारोहण में प्रोटोकाल का पालन न किया जाना,
- (27) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य के प्रदेश के कालेजों में कम्प्यूटर साईंस विषय हेतु सहायक प्राध्यापक पद की नियुक्ति कर भर्ती किया जाना,
- (28) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के कई ग्रामों में भारी ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा न दिया जाना,
- (29) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र पोहरी में नियमित विद्युत सप्लाई न किया जाना,
- (30) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की अटेर विधान सभा क्षेत्र के जवासा में माध्यमिक विद्यालय का अधूरा भवन निर्माण पूर्ण न कराया जाना,
- (31) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त होना,
- (32) श्री आशीष गोविंद शर्मा, , सदस्य की देवास जिले के सिविल अस्पताल कन्नौद एवं खातेगांव में मरीजों के उपचार की सुचारू व्यवस्था होना.

12. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा समापन भाषण में यह उद्धार व्यक्त किए गए कि-
मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा का द्वितीय सत्र अब समाप्ति की ओर है। इस सत्र में 06 बैठकें हुईं, जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में सदन ने अन्य वित्तीय कार्यों के अलावा वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर लेखानुदान पारित किया, वहाँ वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इस सत्र में कुल 2303 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1163 तारांकित 1140 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानार्कण की कुल 541 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 40 सूचनाएं ग्राह्य हुई। शून्यकाल की 176 सूचनाएं एवं 242 याचिकाएं प्राप्त हुई तथा 08 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये।

माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर, हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर तथा 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

मध्यप्रदेश विधान सभा अपने नवाचारों के लिये जानी जाती है। इसी क्रम में मेरे द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश में संशोधन किया गया। विधान सभा के किसी कार्यकाल के सत्रों में सदन की बैठकों हेतु प्राप्त प्रश्नों की वे सूचनाएं, जो स्वीकृत होकर विभागों को उत्तर हेतु भेजी जा चुकी हों, के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर सभा के विघटन के ठीक पूर्व तक प्राप्त नहीं होने पर, सभा के विघटन पर व्यपगत मानी जाती थीं, अब विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इस संबंध में प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्य अपनी क्षेत्र की समस्याएं प्राथमिकता से उठा सकें, इस हेतु मेरे द्वारा उन्हें सदन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया तथा महिला सदस्यों के प्रश्नों को प्राथमिकता दी गई। शून्यकाल में जनहित के विषय उठाने के लिए भी अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने हेतु जहाँ शून्यकाल की नये सदस्यों की सूचनाएं अधिक ली गईं, वहाँ शून्यकाल अपराह्न में लिया गया, इससे सदन की बैठक के अंत तक उपस्थिति भी अच्छी रही। वहाँ भोजनावकाश स्थगित कर एवं सदन के समय में वृद्धि कर अनेक विषयों पर चर्चाएं पूर्ण कराई गईं।

विधायी सदन डिबेट, डॉयलॉग, डिस्कशन के केन्द्र होते हैं, जहाँ इनके माध्यम से जनता की आवाज को स्वर दिये जाते हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और कार्यपालिका का मार्गदर्शन भी किया जाता है। इस दृष्टि से इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर 36 एवं वित्तीय कार्यों पर 32 सदस्यों द्वारा की गई चर्चा इस बात का प्रतीक है कि माननीय सदस्य कितने गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय कार्य प्रणाली के लिए शुभ संकेत है।

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी माननीय मंत्रीगणों, सभापति तालिका के सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े

महानुभावों, विधान सभा प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों / कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि तथा होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूँ।

अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे, धन्यवाद।

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि, अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थायी आदेश में जो संशोधन किया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी विधान सभा के सुचारू संचालन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

13. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना: प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नियम 12 (ख) के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

14. राष्ट्र गान “जन-गण-मन” का समूह गान

(सदन के माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्र गान “जन-गण-मन” का समूह गान किया गया।)

15. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना:- घोषणा

अपराह्न 4.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल :

दिनांक : 14 फरवरी, 2024

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

.....